रबी की फसलों के समर्थन मूल्य

790. **श्री राम गोपाल यादव** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोआई के मौसम के शुरू होने से पूर्व रबी की फसलों के समर्थन मूल्यों की घोषणा न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने समर्थन मूल्यों के संबंध में कोई दिशा निर्देश तैयार किए थे;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष सरकार ने भारतीय किसानों से 280 रु. प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदा था जबकि इसे आयातित गेहूं के लिए दुगुना मूल्य देना पड़ा; और

(ङ) यदि हां, तो देश के अन्दर खरीदे गए गेहूं तथा विदेशों से खरीदे गए गेहूं की मात्रा कितनी-कितनी है और उनकी अलग-अलग लागत कितनी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) प्रत्येक वर्ष कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं रबी फसलों की खरीद/न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा की सुझाई गई तिथियां, जैसा कि ''कृषि मूल्य नीति—एक दीर्घ अवधि परिप्रेक्ष्य'' नामक शीर्षक के दस्तावेज में निहित है, क्रमशः जून एवं अगस्त है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने 1993-94 मौसम में विपणन किए जाने वाले 1992-93 की रबी फसलों के लिए मूल्य नीति पर 24-7-1992 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। बाद में, उर्वरकों के मूल्यों में हाल के संशोधन को देखते हुए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने 8-9-1992 को एक पूरक रिपोर्ट प्रस्तुत की। सरकार इस समय 1992-93 की रबी फसलों की मूल्य नीति पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

(घ) और (ङ) 1992-93 के रबी विपणन मौसम हेतु निर्धारित किए गए 250 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त, केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं की खरीद बढ़ाने के लिए, 1 अप्रैल 1992 से 30 जून, 1992 की अवधि के दौरान किसानों द्वारा भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य खरीद एजेंसियों को बेचे गए गेहूं पर 25 रुपए प्रति क्विंटल का केन्द्रीय बोनस भी प्रदान किया गया। पंजाब, हरियाणा, एवं राजस्थान ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं केन्द्रीय बोनस से अधिक 5 रुपए प्रति क्विंटल का राज्य बोनस प्रदान किया। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित राज्य बोनस 25 रुपए प्रति क्विंटल था। दिनांक 20-11-1992 को 1992-93 विपणन मौसम के दौरान गेहूं की 63.80 लाख मीटरी टन की मात्रा की खरीद की गई है।

गेहूं के आयात हेतु 2,990 मिलियन मीटरी टन गेहूं के लिए करार किया गया है। अनुमानित भारित औसत सी. आई. एफ. लागत 3823 रुपए प्रति मीटरी टन से 4657 रुपए प्रति मीटरी टन के बीच है।

कीटनाशी/विनाशक जीवनाशी की कीमतें

791. **श्री महेश्वर सिंह** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसान तथा बागवान कीटनाशी/विनाशक जीवनाशी की कीमतों में निरन्तर वृद्धि से चिन्तित हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उन्हें राहत प्रदान करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) और (ख) सरकार ने उचित मूल्यों पर कृमिनाशकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(1) कृमिनाशकों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त 44 कच्चे माल पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं है।

(2) कृमिनाशक उद्योग में प्रयुक्त अधिकतर अंतवर्ती और मूल सामग्री पर 65 प्रतिशत की दर पर रियायती सीमा शुल्क लगाया जाता है।